दिनांक 19.11.14 को 12.00 बजे अपराहन में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सम्बद्ध विषयों की उप समिति की बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति :– पंजी में संधारित।
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा वार्षिक शाख योजना (Annual Credit Plan) 2014–15 अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण वितरण का जिलावार/बैंकवार अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्न प्रकार है :–

   (i) वार्षिक साख योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक कृषि प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में 3600006 लाख रू० लक्ष्य के विरूद्ध 1577344 लाख रू० का वितरण हुआ है, जो लक्ष्य का 43.82 प्रतिशत है।

   (ii) वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक 15 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 431712 एवं राशि 385471 लाख रूपया है तथा वितरित आवेदनों की संख्या 416027 एवं राशि 336528 लाख रूपया है, जो लक्ष्य का 28.78 प्रतिशत है।

   (iii) निर्गत के० सी० सी० लाभार्थी को ATM कार्ड निर्गत करने का सरकारी निदेश है लेकिन ATM कार्ड निर्गत करने की प्रगति धीमी है।
3. दिनांक 27.08.14 एवं 24.09.14 को आयोजित प्रखंड स्तरीय क्रेडिट कैम्प में प्राप्त/स्वीकृत आवेदनों की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निदेशित किया गया कि के० सी० सी० आवेदन बैंकों के किन शाखाओं में भेजे गए हैं तथा कितने आवेदन लम्बित हैं, इसका जिलावार/बैंकवार प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त किया जाय।

   (कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)
4. उप कृषि निदेशक(सांख्यकी) द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 27.08.2014 एवं 24.09.2014 को आयोजित किसान क्रेडिट कैम्पों में बैंकों के शाखा प्रबन्धकों की उपस्थिति कम रही है तथा स्थानीय स्तर पर बैंक शाखा प्रबंधकों द्वारा पूर्व में निर्गत निदेश के विपरित 50,000 तक के के० सी० सी० ऋण पर एल० पी० सी० की मांग की जा रही है। इस पर प्रधान सचिव, कृषि द्वारा मार्गदर्शिका को शाखा स्तर पर पहुँचाने का निदेश सभी बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी को दिया गया। साथ हीं भविष्य में के० सी० सी० एवं कृषि से सम्बन्धित ऋण के आवेदन प्राप्ति एवं वितरण का कैम्प शाखा स्तर पर लगाने का सुझाव दिया गया।
5. वर्ष 2014–15 में कृषि ऋण वितरण में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि कम रहने के कारणों के बारे में सम्बन्धित बैंकों (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यू० को० बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाईटेड बैंक, ग्रामीण बैंक, यू० बी० जी० बी०) इत्यादि के प्रतिनिधियों से जानकारी ली गई। अधिकांशतः बैंक प्रतिनिधियों द्वारा नवम्बर माह में प्रगति में सुधार का आश्वासन दिया गया। उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना द्वारा कृषि ऋण वितरण की उपलब्धि कम होने का कारण पैक्स का चुनाव बतलाया गया।
6. के० सी० सी० ऋण एवं अन्य Allied कार्यक्रम (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत आवेदनों के सृजन/ऋण की स्वीकृति हेतु प्रत्येक बुद्धवार को सभी बैंकों पर शाखा स्तरीय कैम्प का

आंयोजन करने का निर्णय लिया गया तथा बैकों के मुख्य कार्यालय से इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करने का निदेश प्रधान सचिव, कृषि द्वारा दिया गया।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

7. प्रधान सचिव, कृषि द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण एवं अन्य Allied Activities (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत On-line आवेदन सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा उपस्थित बैंक अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

8. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा भू–धारिता प्रमाण पत्र (LPC) प्राप्त करने में परेशानियों की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों में भू अभिलेखों (Land records) को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा 15 दिनों के अन्दर भूधारिता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उन्होने इस कार्य में तीव्रता लाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया।

(कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)

9. रबी 2014–15 में राज्य में फसल बीमा योजना अन्तर्गत के० सी० सी० ऋण की स्वीकृति हेतु अन्तिम तिथि (cut off date) का अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई–सहकारिता विभाग, बिहार, पटना)

10. सहायक महाप्रबन्धक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 का फसल बीमा योजना अन्तर्गत दावे (claims) का भुगतान कृषकों को नहीं हो पाया है। कुल 700 करोड़ रूपया किसानों को फसल बीमा का क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान लम्बित है। वर्ष 2010–11 का पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलो का दावे लम्बित होने की सूचना दी गई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इंडिया लि० के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा 195 करोड़ रूपये का अनुदान की राशि लम्बित होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी संचिका के माध्यम से मुख्य सचिव को देने तथा कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि (claims) का शीघ्र भुगतान करने हेतु सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र देने का निर्णय एस० एल० बी० सी० की उप समिति द्वारा बैठक में लिया गया।

(कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)

11. निदेशक, डेयरी द्वारा बतलाया गया कि समग्र गव्य विकास की 100 करोड़ की योजना है तथा अनुदान की राशि सात नोडल बैंको को भेज दिया गया है। इस योजना अन्तर्गत गाय/बाछी आदि का क्रय हाट में पशुचिकित्सक एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में की जानी है। परन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रधान सचिव, कृषि द्वारा पुनः एक विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु निदेशक, डेयरी को निदेश दिया गया। साथ हीं बैंकों के मुख्य कार्यालय से इस योजना के त्वरित निष्पादन हेतु निदेश निर्गत करने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई–निदेशक, डेयरी/एस० एल० बी० सी०, पटना)

12. निदेशक, मत्स्य पालन विभाग द्वारा बतलाया गया कि आई० डी० बी० आई० बैंक द्वारा Fishery अन्तर्गत 3480 प्राप्त आवेदनों में 1040 आवेदन पर राशि disbursed किया गया है। 44 करोड़ रूपये में 6 करोड़ रूपया खर्च किया गया है। हैचरी के लिए उपलब्ध करायी गई राशि लौटा

दी गई है। अन्य बैंकों की बैठक बुलाकर शीघ्र त्वरित कार्रवाई करने हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

13. निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा बतलाया गया कि Poultry/बकरी पालन आदि अन्तर्गत 899 आवेदन बैंकों को भेजे गये हैं जिसमें मात्र 16 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, शेष लम्बित है। उन्होने बतलाया कि राज्य में अंडें की खपत अधिक है तथा दूसरे राज्य से अंडे आते हैं। उन्होने Poultry फार्म स्थापित करने के लिए 150 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी तथा बैंकों के प्रतिनिधियों से ऋण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

14. कृषि निदेशक द्वारा बतलाया गया कि कृषि रोड मैप अन्तर्गत बायो फर्टिलाईजर/व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट की योजना है। इसके अन्तर्गत 40% सरकार द्वारा अनुदान किसानों को दी जाती है तथा यह राशि लाभार्थी के खाते में दिया जाता है। उन्होने Commercial वर्मी कम्पोस्ट वाले आवेदन को शीघ्र स्वीकृत करने हेतु बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया। प्रधान सचिव, कृषि द्वारा इस योजना से सम्बन्धित अनुदेश की प्रति सहायक महाप्रबन्धक, एस० एल० बी० सी०/सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा बैंकों के प्रत्येक शाखा से कम से कम एक योजना स्वीकृत करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–उप कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना।)

15. उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि Post Harvest Management अन्तर्गत पुरानी परियोजनाओं पर ऋण की स्वीकृति कम हुई है। परियोजना की स्वीकृति में ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में सहमति पत्र भारत सरकार द्वारा मांग की जाती है। उन्होने बतलाया कि उद्यान की योजना अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान है। प्रधान सचिव, कृषि द्वारा योजना के क्रियान्वयन अनुदेश की प्रति एस० एल० बी० सी० तथा सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही अगली एस० एल० बी० सी० की कृषि उप समिति की बैठक में उद्यान की योजना का Power Point Presentation करने हेतु प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–निदेशक, उद्यान, बिहार।)

16. प्रधान सचिव, कृषि द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कृषि यंत्रों कम्बाईन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पावर टीलर इत्यादि पर अधिक अनुदान की राशि होने की जानकारी दी गई तथा बैंक अधिकारियों से कृषि यंत्रों पर ऋण की स्वीकृति हेतु निदेश दिया गया। साथ ही अगली एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति की बैठक में इस योजना का Power Point Presentation करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण/नोडल पदा०, कृषि यांत्रिकरण योजना)

17. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर पर बैंको के स्तर से के० सी० सी०/कृषि ऋण/विभिन्न योजनाऐं/अन्य Allied कार्यक्रम (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया/ऋण उपलब्धता के सम्बन्ध में तीन–तीन प्रखंडों के 50 किसान सलाहकारों का समूह में प्रशिक्षण हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया। जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक (LDM) परियोजंना निदेशक, आत्मा/अन्य बैंक अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई– निदेशक, बामेति, बिहार/एस० एल० बी० सी०)

18. नवार्ड के प्रतिनिधि द्वारा नवार्ड द्वारा संचालित भारत सरकार की Area Development Scheme के अन्तर्गत Dairy, Fishery, Poultry अन्तर्गत बैंकों से वित्त पोषण में सहयोग हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई– एस० एल० बी० सी०)

अन्त में कृषि निदेशक, बिहार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

25/11/14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 5308 दिनांक : 26-11-2014

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना/सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पाँचवां तल्ला, प० गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 5308 दिनांक : 26-11-2014

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपाल विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इंडिया लि०, गैण्ड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना/उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैक, पटना/नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण योजना, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/सिचाई विशेषज्ञ, पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/14

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 5308 दिनांक : 26-11-2014

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/सचिव, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/11/14

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

21/11